# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत

पीठासीन अधिकारी :– श्री.मुकेश चौधरी .आर.ए.एस.

**न्याय आपके द्वार, 2017 राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट न्यायालय हाजा–सोजत**

राजस्व वाद संख्या : **16/2017**

| **वादीनी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| 1. चन्द्रकांता भाटी पुत्री गणपतसिंह पत्नि विजयसिंह जाति – राजपूत निवासी सोजतसिटी हाल – जोधपुर राजस्थान | 1. | सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान। |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश टांक अधिवक्ता मय वादीया उपस्थित।
2. प्रतिवादी स्वयं तहसीलदार,(भूमिधारक) सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

**–::निर्णय::–** दिनांकः 30.06.2017

अधिवक्ता वादिया ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादिया की संयुक्त एवं पृथक खातेदारी काश्त हक हकूक की कृषि भूमि सरहद मौजा–सोजतच चक ।। में खसरा नम्बर 1093, 1149 एवं 1151 कुल किता खसरा 03 रकबा 10.3400 हैक्टर किस्म बा0अ0 स्थित है। उक्त आराजीयात का एक मात्र खातेदार एवं कब्जा काश्त वादीनी का ही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म गै.मु. की भूमि में वादीनी का 1/3 हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा मे वादीनी का 2/3 हक हिस्सा व कब्जा काश्त स्थित है। वादीनी अपने पिता गणपतसिंह की प्रथम सन्तान है तथा राजपूत समाज में प्रथम सन्तान पुत्र या पुत्री को भंवर पुकारने की प्रथा कदीम से प्रचलन में है, इसलिए वादीनी भी उनके पिता की प्रथम सन्तान होने के कारण घर परिवार, समाज आदि में भंवर कंवर ही पुकारते है। उक्त कृषि भूमि वादीनी को उनके पिता पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण वादीनी का नाम उक्त कृषि भूमि में भंवरकंवर जोजे विजयसिंह अंकित है। वादीनी का वास्तविक नाम चन्द्रकांता है तथा 'भाटी' उनके पति का सरनेम है। इसलिए वादीनी का पूर्ण नाम 'चन्द्रकांता भाटी' है। वादीनी भंवरकंवर उर्फ चन्द्रकांता भाटी पुत्री गणपतसिंह की एक ही पुत्री है। वादीनी के वांछित दस्तावेज पेनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीनी का वास्तविक नाम चन्द्रकांता भाटी अंकित आ रहा है। भंवरकंवर उर्फ चन्द्रकांता भाटी पुत्री गणपतसिंह एक ही महिला है, जो वादीनी है। उक्त आराजीयात में वादीनी का नाम भंवरकंवर होने से वादीनी को उक्त आराजीयात की कृषि भूमि से संबंधित सरकारी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

परिलाभ, ऋण अथवा सहायता आदि प्राप्त करने हेतु वादीनी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वादीनी को उक्त आराजीयात उनके पिता गणपतसिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है, तद्नुसार आज दिन तक के सभी राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम भंवरकंवर ही चला आ रहा है, वादीनी भंवरकंवर का दस्तावेजी नाम चन्द्रकांता 'भाटी' है। वादीनी का वांछित नाम चन्द्रकांता 'भाटी' पत्नी विजयसिंह होने के कारण वादीनी उक्त आराजीयात में वादीनी का नाम भंवरकंवर के बजाय चन्द्रकांता भाटी रेकर्ड दुरस्त करवाना चाहती है। उक्त खसरान की कृषि भूमि मे वादीनी का नाम भंवरकंवर के बजाय चन्द्रकांता भाटी की घोषणा खातेदारी करवाना चाहती है। वादीनी उनके पिता गणपतसिंह की चन्द्रकांता उर्फ भंवरकंवर एक मात्र पुत्री होने से रेकर्ड में वादीनी भंवरकंवर के बजाय चन्द्रकांता भाटी पत्नी विजयसिंह की घोषणा खातेदारी करवाना चाहती है। उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की होने से एवं सहखातेदारान से किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही होने के कारण सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही होने से पक्षकार प्रतिवादीगण नही बनाये गये है। दिनांक 25.06.2016 को वादीनी को संबंधित राजस्व रेकर्ड की नकले पटवारी हल्का सोजत चक 2 से प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तो सर्वप्रथम वादीनी को उनका नाम चन्द्रकांता भाटी के बजाय भंवरकंवर होने की जानकारी होने पर वादीनी ने संबंधित राजस्व रेकर्ड की नकले सक्षम विभाग कलक्टर कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय आदि से दिनांक 26.06.2016 एवं दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त करने से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। वादीनी का नाम भंवरकंवर के बजाय चन्द्रकांता भाटी दुरस्त करने से किसी भी सहखातेदारान व अन्य व्यक्तियों के हितों पर कोई कुठारघात नही होगा। वादीनी उक्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड अनुसार माफिक हक हिस्से पर आज दिन तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीनी ने उक्त वाद के जरिए घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 25.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम भंवरकंवर पत्नि विजयसिंह होने की सर्वप्रथम जानकारी होने से बमुकाम सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ, जो यह वाद अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादिया ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा सरहद मौजा सोजत चक ।। में स्थित ख0नं0 1093, 1149, 1151, 1089 एवं 1493 में वादिया का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम भॅवरकॅवर के बजाय वर्तमान नाम चन्द्रकान्ता पुत्री गणपतसिंह पत्नि विजयसिंह जाति भाटी राजपूत सा0 सोजत सिटी हाल–जोधपुर दर्ज किये जाने अर्थात् वादिया को वर्तमान सही उक्त नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए वास्ते ज0दा0 तलब किया गया।

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2017 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प–न्यायालय हाजा–सोजत पर पत्रावली दिनांक 03.05.2017 एवं 30.06.2017 को पेश हुई। प्रतिवादी सरकार जरिए तहसीलदार सोजत (लैण्ड होल्डर)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तहसील–सोजत ने दिनॉक 30.06.2017 को जबाब दावा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत ज0दा0 अनुसार कोई विवाद्यक बिन्दु शेष नहीं रह जाने से कायमी तनकीयात की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अधिवक्ता वादिया ने शहादत वादिया pw-1 चन्द्रकान्ता, pw-2 शैतानसिंह एवं pw-3 पृथ्वीसिंह के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किये, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादिया ने वादिया चन्द्रकान्ता भाटी पत्नि गणपतसिंह का आयकर आयुक्त जोधपुर द्वारा जारी स्थाई लेखा कार्ड संख्या AAZPB0066A जन्म दिनॉक 20.04.1947 निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो परिचय–पत्र संख्या WFW/1477611 दिनॉक 15.02.2014, आधार कार्ड संख्या 676771763602 की छाया प्रतियॉ पेश की है, सामिल मिसल है। वाद–पत्र में तथ्यो की संपुष्टि प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात तथा साक्षीगणो वादिया के सगे भाई एवं सहखातेदारान शैतानसिंह व पृथ्वीसिंह के प्रस्तुत तस्दीकसुदा शपथ–पत्रों से होती है। बहस अधिवक्ता वादिया एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस मे अधिवक्ता वादिया ने दौराने बहस व्यक्त किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2070 –2073 अनुसार उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादिया के सगे भाईयों/सहखातेदारो के साथ भॅवरकॅवर पुत्री गणपतसिंह (पत्नि) विजयसिंह के रूप में लाडप्यार का नाम राजपूत समाज में पुत्र/पुत्री सबबे बड़े होने से भॅवर नाम से पुकारने से दर्ज होना एवं प्रस्तुत आयकर कार्ड, चुनाव फोटो पहिचान पत्र एवं आधार कार्ड अनुसार वास्तविक व सही नाम चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिह से पुष्टि हो जाने से दुरूस्त रूप से दर्ज करवाया जाना न्यायोचित होने से वादिया को घोषित किये जाने तथा भॅवरकॅवर जोजे विजयसिंह के स्थान पर चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिंह दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर दौराने बहस प्रतिवादी/ सरकारी पैरोकार को कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, शहादत वादीया pw-1 चन्द्रकान्ता, अन्य साक्षीगण एवं सहखातेदारान pw-2 शैतानसिंह व pw-3 पृथ्वीसिंह के तस्दीकसुदा शपथ–पत्रो का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादिया एवं तहसीलदार, सोजत पर मनन कर गौर किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्षीगणों के शपथ–पत्रो अनुसार हो जाने से वाद स्वीकार किया जाना, वादिया चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिंह को उक्त विवादित भूमि का भॅवरकॅवर पत्नि विजयसिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लाडप्यार एवं सबसे गणपतसिंह की बड़ी पुत्री हाने से गलत दर्ज नाम भॅवरकॅवर पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0देह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0 सोजतसिटी हाल–जोधपुर दुरूस्त दर्ज करवाया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

## –::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक ।। में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 1093, 1149, 1151, 1089 एवं 1493 में वादिया का राजस्व रेकर्ड में गणपतसिंह की पुत्री सबसे बड़ी सन्तान होने से लाड़ प्यार से पुकारे जाने वाले गलत दर्ज नाम भॅवरकॅवर पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक व सही नाम चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0 सोजतसिटी हाल–जोधपुर दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। वादिया को सही व दुरूस्त रूप में उक्त भूमि का दर्ज हिस्से में खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज
राजस्व लोक अदालत
केम्प–सोजत

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को न्याय आपके द्वार, 2017 में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प–न्यायालय हाजा पर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज
राजस्व लोक अदालत
केम्प–सोजत

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्याय आपके द्वार, 2017 राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट न्यायालय हाजा–सोजत**

**बइजलाश श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)**

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल. आर.एक्ट, 1956.**

| वादीनी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. चन्द्रकांता भाटी पुत्री गणपतसिंह पत्नि विजयसिंह जाति – राजपूत निवासी सोजतसिटी हाल – जोधपुर राजस्थान | 1. | सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान। |

**मु0नं0 :–** 16/2017

डिक्री बहक वादीनी विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक ।। में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 1093, 1149, 1151, 1089 एवं 1493 में वादिया का राजस्व रेकर्ड में गणपतसिंह की पुत्री सबसे बड़ी सन्तान होने से लाड़ प्यार से पुकारे जाने वाले गलत दर्ज नाम भँवरकँवर पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक व सही नाम चन्द्रकान्ता पत्नि विजयसिंह राजपूत सा0 सोजतसिटी हाल–जोधपुर दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। वादिया को सही व दुरूस्त रूप में उक्त भूमि का दर्ज हिस्से में खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.06.2017 को जारी की गई।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

| मुद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | 2शून्य | 2शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य |
| मीजान | शून्य | शून्य | मीजान | शून्य | शून्य |

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज